न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 98/2018

जीसीएमएस नम्बर : 2018/00464

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
उम्मेदसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत निवासी गांव बुसी तहसील रानी जिला पाली		1. ग्राम पंचायत बुसी मार्फत सरपंच, ग्राम पंचायत बुसी तहसील रानी जिला पाली 2. समस्त मुस्लिम समाज हस्ते रमजान पुत्र मिश्रु खां, निवासी व्यापारियों का बास, ग्राम पोस्ट बुसी तहसील रानी जिला पाली 3. समस्त मुस्लिम समाज, बुसी जरिये हाफिज मोहम्मद वल्द अली मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी व्यापारियों का बास, ग्राम पोस्ट बुसी तहसील रानी जिला पाली 4. ज्योति परिहार मौजुदा सरपंच ग्राम पंचायत बुसी, तहसील रानी जिला पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

''पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994''

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुश्री ज्योति सिंघवी।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवन्त सांखला।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 17/03/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बुसी द्वारा मिसल संख्या 121/95–96, संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.03.1996 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.03.1996 तथा संकल्प संख्या 05 दिनांक 09.02.1996 की पालना में जारी पट्टा संख्या 71 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 4 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अति. जिला कलेक्टर पाली

वकील प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी याचिका में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 3 के पड़ौस पूर्व दिशा में बावडी का जाव, पश्चिम दिशा में सावर्जनिक रास्ता, उत्तर दिशा में बावडी का जाव, दक्षिण दिशा में कबुतरों का चबुतरा स्थित है। इसी स्थान पर ग्राम पंचायत बुसी द्वारा सार्वजनिक महिला शौचालय बनवाये जाने हेतु कृषि भूमि के खातेदारों द्वारा खसरा संख्या 851, 852, 852/1 की कृषि भूमि ग्राम पंचायत को सरेंडर की गयी थी जिस पर ग्राम पंचायत बुसी द्वारा मिसल संख्या 5/96–97 के द्वारा सार्वजनिक महिला शौचालय देवाराम, भीमाराम, रमजान खान, मिश्रीमल, भीकाराम व रामलाल के नाम से पट्टा जारी किया गया, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में बावडी का जाव, दक्षिण दिशा में भीमालिया जाने का रास्ता, पूर्व दिशा में बावडी का जाव तथा पश्चिम दिशा में सार्वजनिक रास्ता है। इसके पश्चात् ग्राम पंचायत बिना कोई मिसल कायम किये अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में पट्टा संख्या 71 जारी किया जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में बावडी का जाव, दक्षिण दिशा में आंगनवाडी भवन के लिये प्रस्तावित भूमि, पूर्व दिशा में महिला शौचालय की सुरक्षित भूमि तथा पश्चिम दिशा में आम रास्ता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 11 खसरा संख्या 852/1 की कृषि भूमि पर जारी किया गया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 3 व 71 जारी करते समय वैधानिक प्रक्रिया को नजरअन्दाज करते हुये पट्टा संख्या 11 की भूमि पर ही उपरोक्त पट्टे जारी कर दिये। इसके अतिरिक्त रमजान ने सिविल न्यायालय पाली में विचाराधीन प्रकरण संख्या 152/18 में दिये बयान में भी पट्टा संख्या 3 व 71 को महिला शौचालय की भूमि पर बना हुआ माना है। जांच रिपोर्ट में भी उपरोक्त समस्त पट्टो को नियम विरूद्ध माना है। इसलिये बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 3 व 71 को खारिज फरमावे तथा यदि सार्वजनिक महिला शौचालय के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 भी अगर विधिविरूद्ध तरीके से जारी किया गया हो तो उसे भी खारिज किया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी ने स्वयं यह माना कि पट्टा संख्या 11 निजी खातेदारी भूमि में जारी किया गया। ग्राम पंचायत खातेदारी भूमि पर पट्टा नहीं दे सकती है तथा वर्तमान में भी राजस्व रेकर्ड में खातेदारों का ही नाम आ रहा है। वर्तमान में उक्त भूमि पर मदरसा चल रहा है तथा प्रार्थी ने वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाये बिना निगरानी पेश की है जो प्रथमदृष्टया ही पोषणीय नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करते हुये अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा संख्या 3 व 71 जारी किये है तथा उपरोक्त दोनो पट्टे अलग अलग जगह के है। इसलिये प्रार्थी द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 के कथनों का समर्थन करते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार पट्टा संख्या 3 व 71 जारी किया है तथा प्रार्थी ने कथन किया कि उपरोक्त दोनों पट्टे एक ही भूमि के है जबकि वास्तविकता में दोनों पट्टे आबादी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

भूमि में अलग अलग जगह पर जारी किये है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बुसी द्वारा मिसल संख्या 121/95–96, संकल्प संख्या 4 दिनांक 05.03.1996 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.03.1996 तथा संकल्प संख्या 05 दिनांक 09.02.1996 की पालना में जारी पट्टा संख्या 71 के विरूद्ध पेश की है। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधिवक्ता प्रार्थी ने हस्तगत निगरानी याचिका के जरिये ग्राम पंचायत बुसी के दो प्रस्ताव, जो कि अलग–अलग दिनांक को जारी किये गये थे, को चुनौती दी है जबकि एक निगरानी याचिका के जरिये एक ही आदेश को चुनौती दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त RRD 1934 Bhuri vs Kesar के अनुसार - Single revision against two different orders passed on different date by A.C. - Held, not maintainable-Request for treating revision as only against one (later) order could not be accepted at this stage-Revision, rejected with option to petitioners to prefer revision against any order. जिससे यह स्पष्ट है कि दो आदेश, जो कि अलग–अलग दिनांक को जारी किये गये है, को एक निगरानी याचिका के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी याचिका प्रथमदृष्टया इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस एवं निगरानी मीमों में यह जिक्र किया कि प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि ग्राम पंचायत को सरेण्डर की जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सरेण्डर की गई भूमि पर पट्टा संख्या 11 जारी किया गया जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 55 के अनुसार कोई अभिधारी, जो अपनी जोत में ठीक आगामी वर्ष में अधिभोग जारी रखने के लिए पट्टे या अन्य करार से आबद्ध न हो, पहली मई या उससे पूर्व अपनी जोत का अभ्यर्पण उसका कब्जा छोड़कर कर सकेगा और साथ में अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा या अन्य किसी नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुप्रमाणित यह लेख कि या ऐसी जोत उप–पट्टे या बंधक पर दी गई है या नहीं दी गयी है, होगा। तथा अभ्यर्पण की पूर्व–शर्तें अनुसार (1) अभ्यर्पण भूधारक को किया जावेगा, न कि किसी अन्य व्यक्ति को और (2) इसे तहसीलदार द्वारा सत्यापित किया जावेगा। अभिनिर्धारित कि इन दो पूर्व–शर्तों के अभाव में अभ्यर्पण को अवैध मानना सही है तथा एक अभिधारी भू–धारक (अर्थात् – राज्य) के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अभ्यर्पण नहीं कर सकता। इससे यह स्पष्ट है कि खातेदारी भूमि का अभ्यर्पण केवल भू–धारक अर्थात् तहसीलदार को ही किया जा सकता है परन्तु जैर निगरानी याचिका में उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए। हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आज्ञा के द्वारा जिन पट्टों को चुनौती दी गई है उसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 के अनुसार "पट्टा संख्या 11 दिनांक 26.10.1997, पट्टा संख्या 71 दिनांक 09.02. 2013 एवं पट्टा दिनांक 05.03.1996 तीनों पट्टें ग्राम बूसी के खसरा संख्या 852/1 किस्म गै.मु.बेरा की भूमि के है, उक्त भूमि आबादी क्षेत्र में न होने से ग्राम पंचायत द्वारा इस खसरे में जारी किये समस्त भूमि विक्रय विलेख नियम विरूद्ध जारी किये जो निरस्त योग्य है।" इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सिविल न्यायालय पाली के प्रकरण संख्या 152/18 सरकार बनाम उम्मेदसिंह में रमजान के बयान में भी "उन्होनें स्वीकार किया कि मदरसा का पट्टा दिया वह भी महिला शौचालय की पट्टे की जमीन पर पट्टा दिया हुआ है।" ग्राम बुसी की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 के अनुसार खसरा संख्या 852 की भूमि खातेदारी तथा जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खसरा संख्या 852/1 किस्म गै.मु.बेरा की भूमि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है, जिससे यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा संख्या 3, 11 व 71 जारी किये, जो खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त समस्त मुसलमान समाज हस्ते रमजान खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 05.03.1996 कि प्रति अवलोकन से यह जाहिर होता है की उक्त पट्टे की मिसल संख्या 121/95–96 दिनांक 05.02.1996 को दर्ज की गई और पट्टा दिनांक 05.03.1996 को जारी किया गया अर्थात् केवल एक माह में ही अप्रार्थी संख्या 2 समस्त मुसलमान समाज हस्ते रमजान खां के पक्ष में पट्टा संख्या 03 जारी कर दिया, जिसका क्षेत्रफल भी 6400 वर्गफीट है, जो स्पष्टतः राज. पंचायती राज नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक महिला शौचालय, भीमालिया का फलसा हस्ते देवाराम, भीमाराम, रमजान खान, मिसरीमल, भीखाराम, रामलाल के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 दिनांक 26.10.1997 जारी किया है, जिसका क्षेत्रफल 12000 वर्गफीट है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 3 समस्त मुस्लिम समाज बूसी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 09.02.2013 पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।" ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही पश्चातवर्ती पट्टा जारी किया है, जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

Asd
अति. जिला कलेक्टर पाली

पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है। जिसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दूसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।" हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त तीनों पट्टे आबादी भूमि के अन्यत्र भूमि पर जारी किये गये है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat – Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one.

समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण का सम्बन्ध मौलिक रूप से एक ही आराजी से है, जो कि अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति रानी की जांच रिपोर्ट दिनांक 13.10.2020 से भी प्रमाणित है। प्रकरण में उपरोक्त समस्त पट्टे जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया हैं तथा जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में मिसल संख्या 121/95–96 दिनांक 05.02.1996 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 समस्त मुसलमान समाज हस्ते रमजान खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 05.03.1996, मिसल संख्या 5/96–97 दिनांक 05.04.1996 के द्वारा सार्वजनिक महिला शौचालय के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 11 दिनांक 26.10.1997 एवं मिसल संख्या 75/2010–11 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 समस्त मुस्लिम समाज बूसी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 09.02.2013 ग्राम बूसी के खसरा संख्या 852/1 किस्म गै.मु.बेरा की भूमि पर जारी किये गये है। ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त तीनों पट्टों को जारी करते समय पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी की गई हैं। सामान्यतः पृथक–पृथक आज्ञा को निरस्त किये जाने हेतु पृथक–पृथक निगरानी याचिकाऐं प्रस्तुत की जानी थी, किन्तु इस मामले में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि से इतर भूमि के सिलसिलेवार पट्टे जारी किए गए है तथा आज्ञाऐं पारित

अति. जिला कलेक्टर पाली

की गई है, जो इस मामले को असामान्य श्रेणी में परिलक्षित करती हैं। इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में ग्राम पंचायत द्वारा सिलसिलेवार जारी आज्ञाऐं एवं उनकी पालना में जारी पट्टें विधिविरूद्ध होने से उन्हें यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बुसी द्वारा मिसल संख्या 121/95–96 दिनांक 05.02.1996 के द्वारा समस्त मुसलमान समाज हस्ते रमजान खां के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3 दिनांक 05.03.1996, मिसल संख्या 5/96–97 दिनांक 05.04.1996 के द्वारा सार्वजनिक महिला शौचालय के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 11 दिनांक 26.10.1997 तथा मिसल संख्या 75/2010–11 दिनांक 02.03.2020 के द्वारा समस्त मुस्लिम समाज बूसी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 71 दिनांक 09.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली